

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दांडिक विविध जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 15527/2015
मन्नीबाई बनाम स्टेट आफ राजस्थान

दिनांक – 30.1.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा

श्री अवधेश पुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थिया।
MS मीनाक्षी पारीक, लोक अभियोजक।

प्रार्थिया ने यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर जमानत पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना सुल्तानपुर जिला कोटा पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 154/2015 अन्तर्गत धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी भारतीय दण्ड संहिता के मामले में अनुसंधान आरम्भ किया गया। प्रार्थिया ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया, जिसे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम-4, कोटा ने आदेश दिनांक 27.11.2015 से निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रार्थिया की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क यह है कि परिवादिनी श्रीमती गीताबाई का शपथपत्र उन्होंने इस पत्रावली में अनेकचर-2 के रूप में संलग्न किया है, जिसमें परिवादिनी ने यह स्पष्ट कथन किया है कि मेरे स्वर्गीय पिता श्री मोतीलाल जी के कब्जे खाते की भूमि ग्राम जाखडोद तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नं. 397 की रकबा 1.04 है. स्थित चली आ रही थी, जिसमें मुझ शपथकर्ता एवं स्व.मोतीलाल जी के वारिसान का बराबर बराबर हिस्सा निहित चला आ रहा था, लेकिन सहवन से मेरी बहिन मन्नीबाई का उक्त भूमि में नाम दर्ज नहीं हुआ था तथा मेरे भाई बंशीलाल एवं बंशीलाल के पुत्र जमनालाल ने मेरी बहिन मन्नीबाई जो अनपढ़ है, का फायदा उठाकर मेरे पिता की भूमि में नाम लिखाने के विश्वास में लेकर उक्त भूमि में मेरे हिस्से का विक्रयपत्र मन्नीबाई की अंगूठा निशानी

करवाकर करवा लिया, इस बात की जानकारी मन्नीबाई को भी नहीं है। इसमें मेरी बहिन मन्नीबाई का कोई दोष नहीं है। यह सारा कार्य बंशीलाल एवं जमनालाल ने धोखे से करवाया है। उनका कथन है कि परिवादिनी के शपथपत्र से प्रार्थिया के खिलाफ कोई आरोप बनना नहीं पाया जाता है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थिया को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, उसकी अनुसंधान के लिये आवश्यकता नहीं है, प्रार्थिया का इस अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है, एवं यदि उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अतः उसे अग्रिम जमानत पर स्वतंत्र किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों का अवलोकन करने के उपरान्त मैं प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थिया को अग्रिम जमानत पर रिहा करना उपयुक्त समझता हूँ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया मन्नीबाई पुत्री मोतीलाल की उपरोक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में गिरफ्तारी की अवस्था में उसके द्वारा रुपये 2,00,000/- का स्वयं का बंधपत्र एवं एक-एक लाख रुपये की राशि की दो प्रतिभूति संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी/ अनुसंधान अधिकारी की संतुष्टि पर पेश कर तस्दीक कराने पर उसे निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:-

1. कि वह अनुसंधान अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिये जब व जहां अपेक्षित हो, अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगी।
2. कि वह प्रकरण के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को अनुसंधान अधिकारी या न्यायालय के समक्ष प्रकट न करने के वास्ते कोई धमकी, वचन या प्रलोभन नहीं देगी।
3. कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना भारतवर्ष नहीं छोड़ेगी।

(न्या.महेश चन्द्र शर्मा)

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

SK Sharma
DR